

### **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**Coimbatore Branch Office** 

Address: V Floor, Kovai Towers, 44 Dr Balasundaram Road

Coimbatore-641018

0422-2240141, 2249016,2245622

Fax: 0422-2246705

Phones:

**-----**

E-Mail: cbto@bis.org.in
Web: http://www.bis.org.in

# TENDER NOTICE

Sealed quotations are invited for engagement of agency for providing Clerk / Data Entry Operator in Bureau of Indian Standards, 5th floor, Kovai Towers, 44 Dr. Balasundaram Road, Coimbatore – 641 018. Details of persons required are given below:

SI. No.	Description	Qualification	No. of persons required at Coimbatore
1.	Clerk/Data Entry Operator	Skilled: a)Must be a Graduate having knowledge of good spoken English and local language b) Computer operational knowledge essential c) Must be conversant in MS Office	3

### **TERMS AND CONDITIONS:**

- 1. The bidder firm must follow the essential provisions of various labour and industrial Laws including provisions of Contract Labour (CLERICAL) (Regulations and Abolition) Act, 1970 such as Minimum wages cum allowances, compensation, provident fund, ESI & other charges etc.
- 2. The agency shall provide fully trained and disciplined personnel.
- 3. The contract shall be valid for a period of 3 years from the date of signing this contract. However, the contract will be reviewed on yearly basis and extended every year subject to the satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of the both the parties.
- 4. All the personnel engaged shall work directly under the supervision of the contractor. There will not be any employer-employee relationship between BIS and person employed by the agency.
- 5. An Officer of the agency shall visit BIS regularly to take working feedback of the personnel deployed.
- 6. The agency will ensure replacement of the personnel promptly, if services are not found satisfactory of any person.
- 7. Income Tax (TDS) as per rules shall be deducted from the bill of the contractor/agency.
- 8. The agency shall be solely liable for in time payments/dues to the personnel as per the provision of labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.
- The antecedents of the personnel to be deputed in BIS should be thoroughly examined and verified by the agency
- 10. Payment shall be made by 7<sup>th</sup> of every month on submission of the bill by the agency on the last day of the preceding month. The contractor shall not link the payment of BIS for making payment of wages to the persons which must be disbursed on the fixed date only.

- 11. In the event of personnel being on leave/absent the agency shall ensure suitable alternative arrangement to make up such absence. In the event of not providing service as per the agreement, a penalty equivalent to 1.5 to times the pro-rata payment due for such work may be imposed which will be deducted from the payment due to the contractor.
- 12. **Bureau** reserves the right to cancel the contract if the instructions are not properly followed on giving 15 days notice. In the event of dispute, the decision of Head, Bureau of Indian Standards, Coimbatore shall be final and binding.
- 13. The quotation should be clearly specified Basic Wages including VDA as per Government of India Minimum Wages Act PF (%), ESI (%), and Administrative Expenses etc excluding Service Tax or any other applicable Taxes as may be levied by Government and the same shall be charged by the agency in addition to the applicable.

#### INDEMNITY:

- I) The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labor laws as amended from time to time.
- II) The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labor issues etc. or such other statutory infringements.

#### **DOCUMENTS TO BE SUBMITTED**

- The bidder firm must be registered with Labour Commissioner, Coimbatore under the provision of Contract labour (clerical) (Regulation and Abolition) Act, 1970 and furnish the Registration Certificate.
- II). Registration Documents from the following departments:

a) Provident Fund Commissioner

D) E31

c) IT Pan Card

d) Service Tax Registration

III). Details of other organization where Security/Housekeeping contracts are undertaken.

The last date for submission of quotation is fifteen days from the date of publication of this tender. The quotation may be sent in sealed cover at the following address subscribing on envelops with "QUOTATIONS FOR CLERK/DATA ENTRY OPERATOR":

Scientist 'F' & Head, Bureau of Indian Standards 5<sup>th</sup> Floor, Kovai Towers, 44, Dr. Balasundaram Road, Coimbatore – 641018

Yours faithfully,

(T.Kalaivanan) Scientist 'F' & Head



## **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

Address: V Floor, Kovai Towers, 44 Dr Balasundaram Road

Coimbatore-641018

0422-2240141, 2249016,2245622

0422-2246705

Phones : Fax:

E-Mail: cbto@bis.org.in
Web: http://www.bis.org.in

Coimbatore Branch Office

<u>निविदा सूचना</u>

भारतीय मानक ब्यूरो, 5<sup>वीं</sup> मंजिल, कोवै टॉवर्स, डॉ बालासुन्दरम रोड, कोयम्बत्त्र - 641 018, लिपिक/ तथ्य दाखिला प्रचालक नियुक्ति की सेवा प्रदान करने वाले एजेंसी से मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करता है। आवश्यक व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं	विवरण	योग्यता	अपेक्षित
1.	लिपिक/ तथ्य दाखिला प्रचालक	क्शल: a) अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले कुशल स्नातक धारी b) कंप्यूटन परिचालन का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए c) एम एस ऑफिस का अभिसुत ज्ञान होना चाहिए	3

## नियम एवं शर्ते :

- निविदाकर्ता कंपनी को विभिन्न मजदूरों और औद्योगिक कानून के आवश्यक प्रावधानों का पालन करना चाहिए जिसमें अनुबंध श्रम (क्लैरिअल) (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 जैसे प्रावधान, न्यूनतम मजदूरी सह भत्ते, मुआवजा, भविष्य निधि, ईएसआई और अन्य प्रभार आदि शामिल हैं।
- 2. एजेंसी पूरी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मियों को प्रदान करेगी।
- 3. अनुबंध के पुरस्कार के समय बीआईएस और एजेंसी के बीच एक समझौता किया जाएगा। अनुबंध इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 3 वर्ष की अविध के लिए वैध होगा। हालांकि, अनुबंध की वार्षिक समीक्षा की जाएगी और हर साल विस्तारित होगा ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन और दोनों पार्टियों की पारस्परिक सहमति के अधीन।
- 4. सभी कर्मियों को सीधे ठेकेदार की देखरेख में काम करना होगा। भा.मा.ब्यू. और एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होगाष
- 5. एजेंसी के एक अधिकारी तैनात कर्मियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखने के लिए भा.मा.ब्यू. की नियमित मुआयना करेगा।
- 6. एजेंसी किसी भी व्यक्ति के संतोषजनक नहीं होने पर त्रंत कर्मियों के प्रतिस्थापन स्निश्चित करेगी।
- 7. आयकर (टीडीएस) नियमों के अन्सार ठेकेदार / एजेंसी के बिल से कटौती की जाएगी।
- एजेंसी श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार किर्मियों को समय के भुगतान / देय राशि में पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
- 9. भा.मा.ब्यू. में नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों के पूर्ववृत का एजेंसी द्वारा अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए और सत्यापित की जानी चाहिए।
- 10. पूर्ववर्ती माह के आखिरी दिन एजेंसी द्वारा बिल को जमा करने पर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए भा.मा.ब्यू. के भुगतान से लिंक नहीं करेगा, जिन्हें केवल निर्धारित तारीख पर वितरित किया जाना चाहिए।
- 11. कर्मियों के सेवा छोड़ने / अनुपस्थित होने की स्थिति में एजेंसी को ऐसी अनुपस्थिति बनाने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। समझौते के अनुसार सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में, इस तरह के काम के लिए प्रो-राटा भुगतान के लिए 1.5 गुणा दंड का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे ठेकेदार के भुगतान में से कटौती की जाएगी।

- 12. ब्यूरो अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि निर्देश 15 दिनों की नोटिस देने पर ठीक से नहीं किया जाता है। विवाद की स्थिति में, भारतीय मानक ब्यूरो, कोयंबटूर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 13. उद्धरण स्पष्ट रूप से भारत सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पीएफ (%), ईएसआई (%), और सर्विस टैक्स या किसी अन्य लागू टैक्स को छोड़कर प्रशासनिक व्यय आदि के अनुसार वीडीए सहित मूलभूत मजदूरी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जैसा कि सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। लागू होने के अलावा एजेंसी द्वारा शुल्क लिया जाएगा।

## क्षतिपूर्ति:

- 1) ठेकेदार सभी नुकसान और दावों के खिलाफ ब्यूरो को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करेगा किसी भी व्यक्ति या किसी भी संपत्ति को चोट या क्षति के लिए जो बाहर या कार्यालय में उत्पन्न हो सकता है, समय-समय पर संशोधित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के तहत अनुबंध के परिणाम और सभी दावों, मांगों, कार्यवाही, क्षतिपूर्ति, लागत, आरोपों और खर्चों के संबंध में।
- II) किसी भी प्रकार के दावों, घाटे, लागतों, रक्षा, व्यय, कार्रवाई सूट, अन्य कार्यवाही और नुकसान जिसके परिणामस्वरूप किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और श्रम मुद्दों आदि या ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघन हो, ठेकेदार को ब्यूरो की रक्षा, बचाव एवं क्षतिपूर्ति करेगा।

## दस्तावेजों को प्रस्त्त किया जाए

- I) बोलीदाता कंपनी अनुबंध श्रम (लिपिक) (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत श्रम आयुक्त, कोयम्बट्र के साथ पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- ॥) निम्नलिखित विभागों के पंजीकरण दस्तावेज:

a) भविष्य निधि आयुक्त

b) ई एस अई

c) आईटी पैन कार्ड

d) सेवा कर पंजीकरण

III) अन्य संगठन का विवरण जहां स्रक्षा/ हाउसकीपिंग अन्बंध किया जाता है।

इस निविदा नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिनों तक उद्धरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। उद्धरण को सीलबंद कवर में निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है और लिफाफे पर "क्लियरर्स / डेटा एंटर ऑपरेटर के लिए उद्धरण" लिखा होना चाहिए:

वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो 5<sup>वीं</sup> मंजिल, कोवै टॉवर्स, डॉ बालासुन्दरम रोड, कोयम्बत्त्र - 641 018

धन्यवाद,

भवदीय

(टी. कलैवाणन) वैज्ञानिक-एफ एवं प्रम्ख